



क्षेत्रीय कार्यालय, 88-बी, सिविल लाइन्स, होटल सीता किरन कम्पाउण्ड, बरेली-243001

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस ।

सामान्य रूप से आम लोगों को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई हैं, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। जिसे "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 29.09.2025 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच बेचा जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार को बकाया की वसूली के लिए, निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतकर्ता(ओं) से संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि (ईएमडी) नीचे दी गई है।

ईएमडी (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 28.09.2026 शाम 4:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता का नाम एवं शाखा	बंधक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि एवं देय धनराशि	रिजर्व प्राइस
			कब्जा नोटिस की तिथि	ईएमडी बिड इन्क्रीज अमाउन्ट
शाखा : मेन शाखा बरेली				

ई-नीलामी की तिथि: 29.09.2026 दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ।

इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट <https://baanknet.com> पर पंजीकरण करना होगा और क्रेता पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ईएमडी राशि केवल **baanknet** के वॉलेट में जमा की जाएगी। (प्रक्रिया खरीदार/बोलीदाता को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने **baanknet** पोर्टल में लॉगिन करना होगा)।

उपरोक्त संपत्ति पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है—ज्ञात नहीं है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट (प्रतिभूत लेनदार के रूप में) यानी <https://www.centralbankofindia.bank.in>, या वेबसाइट **baanknet** देखें।

दिनांक: 10.09.2026

स्थान : बरेली

प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया



Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय, 88-बी, सिविल लाइन्स, होटल सीता किरन कम्पाउण्ड, बरेली-243001

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिनूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

सामान्य रूप से आम लोगों को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई हैं, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। जिसे "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 29.09.2025 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच बेचा जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार को बकाया की वसूली के लिए, निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतकर्ता(ओं) से संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि (ईएमडी) नीचे दी गई है।

ईएमडी (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 28.09.2026 शाम 4:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणी/ गारन्टर/ बंधककर्ता का नाम एवं शाखा	बंधक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि एवं देय धनराशि	रिजर्व प्राइस
			कब्जा नोटिस की तिथि	ईएमडी विड इन्क्रीज अमाउन्ट
शाखा : मेन शाखा बरेली				

ई-नीलामी की तिथि: 29.09.2026 दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ।

इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट <https://baanknet.com> पर पंजीकरण करना होगा और क्रेता पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ईएमडी राशि केवल [baanknet](https://baanknet.com) के वॉलेट में जमा की जाएगी। (प्रक्रिया खरीदार/बोलीदाता को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने [baanknet](https://baanknet.com) पोर्टल में लॉगिन करना होगा)।

उपरोक्त संपत्ति पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है-ज्ञात नहीं है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट (प्रतिभूत लेनदार के रूप में) यानी <https://www.centralbankofindia.bank.in>, या वेबसाइट [baanknet](https://baanknet.com) देखें।

दिनांक: 10.09.2026

स्थान : बरेली

प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया